

सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
उत्तर प्रदेश सरकार

द्वारा

जिलाधिकारी

जानपद

ज्ञापन

मान्यवर,

सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ 27237 सदस्यों की पंजीकृत संस्था है। इसके सभी सदस्य शासन एवं प्रशासन की योजनाओं में अपनी सक्रिय भागीका निभाते हुए अपने पदीय दायित्वों का भी कुशल पूर्वक निर्वहन करते हैं वर्तमान समय में फील्ड स्तरीय कर्मचारियों की अपेक्षा लेखपाल पर सर्वाधिक कार्यों का बोझ है। इसके बावजूद अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा लेखपाल का वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ काफी कम हैं, जबकि लेखपाल को उद्भरण खर्चों से प्राप्त होने वाली पारिश्रमिक धनराशि से भी वर्ष 2005 से वंचित कर दिया तथा उत्तराखण्ड राज्य जो उत्तर प्रदेश का ही विभाजित अंग है, में लेखपालों को जो वेतन, भत्ते, सुविधाएँ दी जा रही है उत्तर प्रदेश में उससे काफी कम वेतन, भत्ते, सुविधाएँ दी जा रही है। प्रोन्नति के अवसर बिच्छुल नगण्य हैं जबकि प्रदेश के अधिकांश जनपदों एवं तहसीलों में एक भी राजस्व निरीक्षक तथा नायब तहसीलदार कार्यरत नहीं है। लेखपालों की संख्या में भारी कमी है जिससे एक लेखपाल को दो से चार क्षेत्रों का कार्य करना पड़ रहा है।

मुख्य रूप से विचारणीय एवं लक्षित समस्याओं का विवरण

1. प्रदेश के राजस्व लेखपालों का प्रारम्भिक वेतनमान, वाहन भत्ता, रटेशनरी भत्ता आदि देश के अन्य प्रान्त (पंजाब, हिमाचल, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखण्ड) के समान किये जायें।

2. प्रदेश में राजस्व निरीक्षक के 1398 नये राजस्व पदों का सृजन किया जाये तथा पूर्व प्रस्तावित 646 पद रजिस्ट्रार कार्रवाई संचालित नाम राजस्व निरीक्षक तहसील कार्यालय में बढ़ाने के साथ-साथ सीधी भर्ती हेतु निर्धारित 25 प्रतिशत अनुपात को समाप्त कर राजस्व निरीक्षक के समस्त पदों पर शत प्रतिशत प्रोन्ति व्यवस्था लेखपाल संघ से सुनिश्चित की जाये एवं वर्तमान समय में रिक्त लगभग 800 पदों पर संघों से तत्काल प्रोन्ति की जाये।
 3. प्रदेश में लेखपाल संघों से रिक्त लगभग 8000 पदों को कार्य सरकार एवं जनहति में अति शीघ्र भरा जाये। पदों को भरने तक अतिरिक्त कार्य (ओवर टाइम) के रूप में एक हफ्ते से अतिरिक्त हफ्ते का कार्य करने वाले लेखपालों को अतिरिक्त मानदेय निर्धारित किया जाये।
 4. लेखपालों की शैक्षिक योग्यता वर्तमान समय में इण्टरमीडिएट है जिसे स्नातक किया जाये तथा नियुक्ति अधिकारी उपजिलाधिकारी के स्थान पर जिलाधिकारी को किया जाये।
- संस्था की आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि महोदय अपने स्तर से पहल करके संघों की लम्बित समस्याओं का निराकरण कराते हुये सम्बन्धित राजाज्याये जाये कराते हुये संस्था को अनुमोदित करेंगे।

महान कृपा होगी संस्था सदैव आपकी आभारी रहेगी।

भवदीय

दिनांक—

हस्ताक्षर

जिलाध्यक्ष का नाम

जनपद

हस्ताक्षर

जिला मंत्री का नाम

जनपद

प्रतिलिपि— प्रधान कार्यालय उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ को सूचनार्थ प्रेषित।

हस्ताक्षर

जिलाध्यक्ष का नाम

जनपद

हस्ताक्षर

जिला मंत्री का नाम

जनपद

नोट— तहसील पदाधिकारी अपने ज्ञापन में जिलाधिकारी के स्थान पर उपजिलाधिकारी एवं जनपद के स्थान पर तहसील तथा जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री के स्थान पर तहसील अध्यक्ष एवं तहसील मंत्री लिखेंगे।